

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी—

शिव चरण मीना

आर.ए.एस.

मैसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

32 / 2017 / प्रा.पत्र / 2017

17.04.2017

30.12.2022

मदनलाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.....आवेदक

बनाम

1—श्री रामेदव गुर्जर पुत्र श्री श्योजीलाल गुर्जर एफ.बी.ओ. मैसर्स श्री कृष्णा दूध डयेरी घास भैरू जी का चौक दूनी तह. दूनी जिला टोंक निवासी रघुनाथपुरा पोस्ट रामचन्द्र जी का खेडा तह. हिन्डौली जिला बून्दी राज. हाल निवासी द्वारा श्री गोपाल जी मून्दडा दूणजा मां मन्दिर के पास दूनी जिला टोंक

2—मैसर्स श्री कृष्णा दूध डयेरी घास भैरू जी का चौक दूनी तह. दूनी जिला टोंक

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार।

2—अभिभाषक अप्रार्थी श्री राजेश गुर्जर।

:-निर्णय:-

दिनांक 30.12.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.10.2016 को समय 12:12 पी.एम. पर मैसर्स श्री कृष्णा दूध डयेरी घास भैरू जी का चौक दूनी तह. दूनी जिला टोंक पर पहुंचा। वहां श्री रामेदव गुर्जर पुत्र श्री श्योजीलाल गुर्जर मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री रामेदव गुर्जर ने स्वयं को मैसर्स श्री कृष्णा दूध डयेरी घास भैरू जी का चौक दूनी तह. दूनी जिला टोंक का एफ.बी.ओ. होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री पत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं होना जाहिर किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ घी खुला 20-20 किलोग्राम स्टील की 2 केन में रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री रामेदव गुर्जर को फार्म नं. VA Form दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री रामेदव गुर्जर व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह घी खुला वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 800 ग्राम खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी खुला को चार खाली साफ एवं सूखी कांच की शीशियों में बराबर-बराबर 200-200 ग्राम डालकर शीशियों के ढक्कन को अच्छी



तरह एयरटाईट बन्द किया तथा चारों नमूना भागों के लिए नियमानुसार चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-1470 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करायें तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-1470 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जापत्तों में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छ प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपड़ी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक अजमेर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./16/5158 दिनांक 24.11.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल0 एस0/610/एक्ट/2016/658 दिनांक 08.11.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्य किया गया **घी खुला** एफ.एस.एस.ए. की धारा 2(i) का उल्लंघन करने के कारण **असुरक्षित (Un-Safe)** स्तर का होना पाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से भिजवायी गयी।

उक्त जांच रिपोर्ट पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने धारा 46 के अन्तर्गत नमूना पुनः जांच करवाने हेतु अपील आवेदन किया जिस पर नमूना पुनः जांच करवाने हेतु निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर भिजवाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एफटी/एक्यूसीएल/एफ.एस.एस.ए(40एफ)/2017 दिनांक 28.03.2017 के अनुसार उक्त नमूना एफएसएसए की धारा 3(1)(zx) के उल्लंघन के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया जो कि अन्तिम रूप से मान्य हैं जिसकी जांच रिपोर्ट अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से भिजवायी गयी। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से उनके अभिभाषक श्री राजेश गुर्जर उपस्थित हुए एवं बहस की एवं बहस में अप्रार्थी की ओर से जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। परोकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **घी खुला** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं परोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **घी खुला** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा व 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर शास्ति रूपये



25,000 /- (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 30.12.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 30.12.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(शिव चरण मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोक-राज0